1/182101/2024

वित्त (साठनिठ—वेठआठ)अनुनाग—7 संख्या—182101 / XXVII(7)/E-22807/2022 वेहरादनः दिनांकः । 3 जनवरी, 2024

Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 No-182101 / XXVII(7)/E-22807/2022 Dehradun: Dated 13 January, 2024

## कार्यालय ज्ञाप

111 PILET

राज्य सरकार के ऐसे सिविल / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

जपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पैशनर, जिनकी पैशन साववें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीहित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय झाप संख्या—120034
/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 02 जून, 2023 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01—07—2023 से 42 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- यह आदेश माठ एच्च न्यायालय के न्यायाबीशाँ, एतराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक एपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, एनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- उ. यह आदेश विद्यालयी शिला/प्राविधिक रिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।
- 4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए 1-252 / दस / 10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं, है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।
- ह. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

## Office Memorandum

Subjects

Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2023 @ 46% instead of 42 % superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 126934/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 02 Jun, 2023 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7\* pay Commissions.

- 2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chalrinan and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.
- 3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.
- 4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.
- Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable us usual.

Signed by Ganga Prasad Date: 13-01-2024 10:52:06

(Ganga Prasad)
Additional Secretary.

(गंगा प्रसाद) अपर सचिव। 199032/2024

## उत्तराखण्ड शासन वित्त (साठनि०-वे०आ०)अनुभाग-7 संख्याः 193 • 32/ XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादनः दिनांकः 14 मार्च, 2024

## कार्यालय ज्ञाप

विषय:

राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

जपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—182101/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक: 13 जनवरी, 2024 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01—01—2024 से 46% प्रतिशत के स्थान पर 50% प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- यह आदेश माठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशां, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- उ. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।
- 4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—ए—1—252/दस /10(3)—81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।
- 5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(दिलीप जावलकर) सचिव। Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 No-199032/XXVII(7)/E-22807/2022 Dehradun: Dated 14-March, 2024

Office Memorandum
Subject: Grant of Dearness Relief of s

Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commission.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2024 @ 50% instead of 46% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 182101/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 13 January, 2024 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commission.

- 2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.
- These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.
- 4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.
- Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Signed by Dilip Jawalkar Date: 14-03-2024 19:05:58

(Dilip Jawalkar) Secretary.